न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 16 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सुरेश पुत्र दीनाराम जाति मेघवाल निवासी कठोती तहसील जायल जिला नागौर।		1 प्रधानाचार्य शहीद मूलाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कठौती तहसील जायल जिला नागौर। 2 जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर। 3 विकास अधिकारी, पंचायत समिति जायल जिला नागौर। 4 सरपंच, ग्राम पंचायत कठौती पंचायत समिति जायल जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री मामराज गुणपाल अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से

2 श्री ओमप्रकाश पुनिया, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 18.03.2025

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कठोती द्वारा पट्टा संख्या 33 मिसल नम्बर 01 तारीख दायरा दिनांक 23.12. 1973, पट्टा दिनांक 01.12.1974 को जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.03.2019 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 03.04.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री ओमप्रकाश पुनिया अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी संख्या 03 से 04 बाजवूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पट्टा संख्या 33, 31, 15, 49 व 50 की फोटोप्रति, मौजा कठोती की जमाबंदी सम्वत् 69 से 72 की फोटोप्रति, मौजा कठोती के नजरी नक्शा–2 की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.08.12 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत कठोती के पत्र दिनांक 08.02.19 की फोटोप्रति, एफ. एस.एल. रिपोर्ट दिनांक 08.08.11 की फोटोप्रति, निमंत्रण पत्र दिनांक 25.01.12, 24.01.13, 14.08.12 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत कठोती के पत्र दिनांक 29.03.23 की फोटोप्रति, ग्राम कठोती की जमाबंदी सम्वत 2073 से 76 की फोटोप्रति, ग्राम कठोती के खसरा नक्शा एवं जमाबंदी की फोटोप्रति तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 28 / 8 दीनाराम बनाम राज.उ.प्रा.वि. कठोती व अन्य के निर्णय दिनांक 15.07.09 की फोटोप्रति व ग्राम न्यायालय जायल के निर्णय दिनांक 31.03.17 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– हस्तगत पट्टा जैर निगरानी सरासर गलत, फर्जी कूटरचित कागजी तौर से अपराधिक षडयंत्र के तहत तैयार हुआ होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2(2)–हस्तगत पट्टा कभी भी तत्कालीन सरपंच जीतमल ग्राम पंचायत कठोती द्वारा जारी नहीं किया गया था न ही पट्टा की कोई राशि पंचायत में जमा हुई न मौका निरीक्षण रिपोर्ट पंचायत रिकॉर्ड में है न अन्य औपचारिकताएं पूरी हुई है ऐसी कोई पटटा मिसल कभी भी ग्राम पंचायत में कायम नहीं हुई न कथित पट्टा हेतु आवेदन पंचायत में पेश हुआ है इन परिस्थितियों में ग्राम पंचायत कठौती द्वारा कथित स्कूल के बच्चों के खेल मैदान के नाम से तथाकथित पट्टा जारी किया होना नहीं माना जा सकता है न कभी ऐसा पट्टा जारी किया गया है।

2(3)– उक्त पट्टा फर्जी होने के संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच हुई व जांच रिपोर्ट दिनांक 08.08.2011 भी प्रार्थी को जानकारी करने पर मिली है जिसमें भी उक्त पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर भिन्न पाये गये है।

18/3/25

अपर कलक्टर, नागौर

2(4)– ग्राम पंचायत कठोती द्वारा उक्त गलत व फर्जी पट्टा नम्बर 33 दिनांक 01.12.1974 को जारी करना अप्रार्थी संख्या 1 बता रहा है जिस पर सरपंच जीतमल के फर्जी हस्ताक्षर किये हुए है तथा मिसल नम्बर 1 तारीख दायरा 23.12.1973 दर्ज है जिसकी प्रति प्रार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त की जो प्रति ग्राम पंचायत से ली गयी उसमें मिसल पत्रावली पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है न ही बिल बुक, नक्शा रिकॉर्ड में उपलब्ध है इस फर्जी पट्टा के बाद एक और पट्टा इसी नम्बर यानि 33 नम्बर का बनाया गया है जो दोनो फर्जी है तथा पहले वाले पट्टा में पट्टा नम्बर 33 अंक प्रिंट दर्ज है व दूसरा पट्टा जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के खेल मैदान का पट्टा लिख कर फर्जी तौर से सरपंच के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर कर पट्टा तैयार किया है उसके भी नम्बर 33 ही है लेकिन उक्त 33 अंक हस्तलिखित है व दूसरा पट्टा में 33 नम्बर प्रिंट है तथा दोनों पटटो पर सरपंच के हस्ताक्षरों की जगह जीतमल नाम के हस्ताक्षर नहीं है दोनों फर्जी पट्टो के परफोरमा अलग अलग तैयार किये हुए है तथा फर्जी हस्ताक्षर जो सरपंच के किये हुए है व डोट पेन से किये हुए है, 1974 में डोट पैन उपलब्ध ही नहीं था, होल्डर पैन स्याही वाले चलते थे इसके अलावा एफ.एस.एल. में भी हस्ताक्षरों में भिन्नता पायी गयी है इस प्रकार उक्त पट्टे फर्जी है तथा निरस्त किये जोन योग्य है।

2(5)– रा.उ.मा.वि. कठोती का वर्तमान में नाम शहीद मूलाराम रा.उ.मा.वि. कठोती है तथा उसके वर्तमान प्रधानाचार्य द्वारा प्रार्थी व उसके परिवार को नाजायज तंग परेशान करने हेतु झुठी शिकायत कर रहे है प्रार्थी अनुसूचित जाति का गरीब परिवार का व्यक्ति है अधिकतर मजदूरी हेतु बाहर रहता है प्रार्थी के परिवार वालों के विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा की जाने वाली झुठी शिकायतो की पूरी जानकारी प्रार्थी को पूर्व में नहीं रही थी लेकिन अब अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी को उसके परिवार सहित उक्त रहवासी एक मात्र जायगा से बेदखल करने की खुली धमकियां देकर कथित पट्टो आदि के बारे में बताने पर पूरी जानकारी हुई है तथा पट्टे फर्जी तैयार कर हम गरीब अनुसूचित जाति के लोगो की एक मात्र रहवासी जायगा को हडपने का प्रयास किया जा रहा है व भूमाफियों के गिरोह से मिलकर नाजायज तंग परेशान कर रहे है जबकि उक्त जायगा कदीम से हमारे रहवास की रही है कभी भी ग्राम पंचायत या अन्य शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारीगण ने कोई उजर आपति नहीं की व बच्चों के खेल की जगह अन्यत्र रहती चली आई है ऐसी स्थिति में कथित पट्टो के आधार पर प्रार्थी के परिवार वालो को अप्रार्थी बेदखल करने पर आमादा होने से पट्टा निरस्त करवाना आवश्यक होने से इस हेतु यह निगरानी पेश की।

2(6)–प्रार्थी व उसके परिवार द्वारा उक्त कदीमी निवास स्थान पर निवास करते रहने मे ग्राम पंचायत को कोई आपति नहीं है तथा ग्राम पंचायत कठौती ने ऐसा कोई पट्टा कभी जारी भी नहीं किया था फिर भी पंचायत द्वारा पट्टा जारी होना गलत बताया जा रहा है।

2(7)– अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कथित पट्टा संख्या 33 जो स्कूल के बच्चों के खैल मैदान की जगह का बता रहे है जो उतरोतर तीन फर्जी पट्टे तैयार किये गये है जिनमें से एक पटटे पर तो सरपंच के हस्ताक्षर भी नहीं है, पट्टा पर रामानन्द के हस्ताक्षर फर्जी है।

2(8)– प्रार्थी की उक्त रहवासी जगह को अप्रार्थी संख्या 1 उक्त स्कूल के मैदान की जायगा होना बता रहे है जबकि यह जगह खेल मैदान की सरकारी जायगा कभी नहीं रही थी। तत्कालीन समय कथित रामानन्द शर्मा उप सरपंच था तथा उक्त रामानन्द शर्मा के नाम से ग्राम पंचायत कठोती द्वारा पट्टा संख्या 15 जारी किया हुआ है जिस पर सरंपच जीतमल के हस्ताक्षर सही है व रामानन्द के हस्ताक्षर भी सही है मगर विवादित पट्टा संख्या 33 पर हस्ताक्षर रामानन्द के फर्जी किये हुए साफ प्रकट होते है इतना ही नहीं पट्टा संख्या 31 जो तत्कालीन सरपंच जीतमल स्वयं का है जिस पर हस्ताक्षर सही है व होल्डर पेन से किये हुए है व पट्टा नम्बर 50 जो अर्जुनराम भाम्बी के नाम से जारी हो रखा है जिस पर जीतमल के हस्ताक्षर विवाद रहित है जबकि विवादित पट्टा पर हस्ताक्षर फर्जी है जो एफ.एस.एल. रिपोर्ट से भी सावित है।

2(9)–प्रार्थी की रहवासी जायगा को स्कूल मैदान होना गलत बताया जा रहा है क्योंकि अप्रार्थी स्कूल का गेट उतर दिशा में उसके बाद पश्चिम में रास्ता छोड कर उसके बाद प्रार्थी की यह रहवासी जायगा है ऐसी स्थिति में रास्ता को छोड कर दूसरी तरफ स्कूल का मैदान होना संभव भी नहीं है स्कूल के मैदान हमेशा स्कूल के चिपता एक ही चक के रूप में होता है जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी की रहवासी जायगा कभी स्कूल मैदान के रूप में नहीं रही है व पट्टे फर्जी तैयार किये हुए है।

18/3/18

अपर कलक्टर, नागौर

2(10)–कथित स्कूल के खेल मैदान की जगह जो बतायी जा रही है वह जगह कठोती के आबादी क्षेत्र में नहीं है तथा जायल रोड पर स्थित है स्कूल के खेल मैदान की जगह खसरा नम्बर 1535 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा में है वहां पर 8 कमरे बने हुए है उक्त जगह पर 40 वर्षों से स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा रोहण किया जाता है तथा प्रार्थी की निगरानी में दर्ज तमाम अभिवचनों व आधारों के संबंध में ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में एफ.एस.एल. रिपोर्ट, खसरा नम्बर 1535 की खतौनी, नक्शा सूचना अधिकार के तहत पंचायत से ली गयी नकले, आदेश जिला कलक्टर नागौर की प्रति, मौका रिपोर्ट की प्रति वगैरा आवश्यक तमाम दस्तावेज पेश है जिनेक अवलोकन से उक्त पट्टा नम्बर 33 जो एक ही नम्बर व नाम के दो भिन्न भिन्न फर्जी व कूटरचित तैयार किये हुए है, निरस्त किये जाने योग्य है।

2(11)–विवादित पट्टा संख्या 33 के नम्बर से दो अलग अलग फर्जी पट्टे तैयार किये गये है जिनकी हस्तलिपि अलग अलग है इस प्रकार अनेक भिन्नता है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये हुए कतई नहीं है फर्जी है इस षडयंत्र में शरीक लोगो के विरूद्व अलग से फौजदारी कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त सम्पूर्ण परिस्थितियों कथित पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है।

3– वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अपनी बहस में बताया कि पटटा जारी करवाने हेतु विधिवत ग्राम पंचायत में आवेदन किया गया है। ग्राम पंचायत के 03 पंचों द्वारा विधिवत निरीक्षण कर रिपोर्ट पंचायत में प्रस्तुत की गई। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत नोटिस चस्पा की कार्यवाही की गई। ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियमों की पालना करते हुए उक्त पटटा जारी किया गया है। उक्त पट्टे को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थी के पिता ने पूर्व में न्यायालय हाजा में निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जिसको न्यायालय हाजा द्वारा बाद सुनवाई खारिज किया गया था। अतः प्रार्थी की निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कठोती द्वारा पट्टा संख्या 33 मिसल नम्बर 1/तारीख दायरा दिनांक 23.12.1973, पट्टा दिनांक 01.12.1974 को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त पट्टे को निरस्त करवाने हेतु पूर्व में निगरानी प्रस्तुत की गई थी, निगरानी संख्या 28/08, निर्णय दिनांक 15.07.2009 को न्यायालय हाजा द्वारा बाद सुनवाई खारिज किया गया था। प्रार्थी द्वारा पुनः उन्ही विवादित जायगा के संबंध में दुबारा निगरानी पेश की गई है, जबकि विधि अनुसार एक बार किसी भी विवादित संपति के संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसी विषयवस्तु के संबंध में पुनः उसी न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती। इस संबंध में प्रार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने को स्वतंत्र है, किंतु चूंकि विधि अनुसार इस प्रकरण में पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई कर अंतिम निर्णय पारित किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में उसी जायगा के संबंध में प्रार्थी द्वारा पुनः पेश की गई निगरानी विधि अनुसार चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/3/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर